प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

सेवा में,

प्रबन्धक,
सनबीम सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल,
नरायनपुरम, (सिगारी) – मऊ (उ०प्र०)

पत्रांक : 416/51-52 /2018–19 दिनांक : 09/05/2019

विषय : उत्तर प्रदेश के शासन के शासनादेश संख्या– 1916/15–7–09–2009–299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 के अधीन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

महोदय,

उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या– 1916/15–7–09–2009–299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 के अधीन माध्यमिक शिक्षा संस्थाओं को काउन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली/सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है।

उक्त के सम्बन्ध में आप के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला अधिकारी मऊ द्वारा भूमि एवं भवन की जाँच तथा संयुक्त शिक्षा निदेशक, आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़ के द्वारा निरिक्षण किये जाने के उपरान्त शासन द्वारा निर्गत राजाज्ञा सं०– 1916/15–7–09–2009–299/2007 शिक्षा (7) अनुभाग, लखनऊ दिनांक 14 जुलाई 2009 में उल्लेखित प्रवधानों के अन्तर्गत एतद्द्वारा सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजूकेशन, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है। उक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के भविष्य में विद्यमान रहने के अधीन होगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो को पूरा किये जाने के अध्यधीन है :–

1. उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र 3 वर्ष के लिए मान्य होगा। उक्त के द्वारा संस्था 3 वर्ष के उपरान्त प्रमाण पत्र का नविनीकरण कराने के लिए संस्था बाध्य होगी।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबन्ध–1) और उ०प्र० निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियमावली 2010 (उपबन्ध–2) के उपबन्धो का पालन करेगा।
3. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपीटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रिनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
4. विद्यायल अधिनियम की धारा–19 में विर्निदिष्ट विद्यालय के मानको और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरिक्षण के समय विद्यालय का भूमि भवन एवं प्रसुविधाएं मानक के अनुरूप पायी गई।
5. विद्यालय सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजूकेशन, नई दिल्ली के मानको को पुर्ण करता है तथा इसे बनाए रखेगा।
6. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जयेगी।
7. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जायेगा।
8. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समुह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

9.5.19

9. लेखाओं की समपरीक्षा (आडिट) और प्रमाणन किसी चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा किया जाना चाहिए और नियमानुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रतिवर्ष संयुक्त शिक्षा निदेशक को प्रसित की जानी चाहिए।
10. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सुचना प्रस्तुत करेगा जो समय–समय पर संयुक्त शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो/और समुचित सरकार/स्थानिय प्राधिकार के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तो के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने एवं विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जाये।
11. विद्यालय सरकार द्वारा निंदिष्ट पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
12. विद्यालय प्रबन्धन/न्यास और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के आदेशो का अनुपालन करेगा।
13. संलग्न उपबंध के अनुसार अन्य को शर्त।

भवदीय

9.5.19

श्रीमती (ए०पी०वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

पृ०सं० व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि– निम्नांकित अधिकारियों की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ०प्र० लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त आजमगढ़।
3. सचिव सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एंजूकेशन, नई दिल्ली।
4. जिलाधिकारी मऊ।
5. जिलाविद्यालय निरिक्षक मऊ।

श्रीमती (ए०पी०वर्मा)
संयुक्त शिक्षा निदेशक,
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़

Pankaj Kr. Singh
Manager
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau

Principal
Sunbeam Senior Secondary School
M. Bad Gohna-Mau